### नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसुचना

दिनांक 25 जनवरी, 1994

संख्या पी0 सी0— 94/811— पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूचि में यथाविनिदिष्ट तथा इससे संलग्न नक्शें में दर्शाए गए गांव खरकारी, तहसील और जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:—

### अनुसुची

गांव खरकारी, तहसील और जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस—पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा—अनुसूची को ड्राईंग संख्या डीoटीoपीo (जी) 420 / 93 दिनांक 25 मई, 1993 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तरः बिन्दु 'क' से लेकर अर्थात उस बिन्दु से जहां गांव बसलम्बी की पश्चिमी सीमा गांव खरकारी की उत्तर-पश्चिमी सीमा से मिलती है, उसके बाद गांव बसलम्बी की दक्षिणी सीमा के साथ-2 उत्तर-पूर्व की ओर बिन्दु 'ख' तक जहां यह गांव कासन की पश्चिमी सीमा से मिलती है।

पूर्वी: उसके बाद गांव खरकारी की आयत संख्या 16 तथा 17 की पूर्वी सीमा के साथ—2 दक्षिण पश्चिम की ओर, और उसके बाद आयत संख्या 137 की उत्तरी सीमा के साथ—2 पूर्व की ओर और उसके बाद आयत संख्या 138 की उत्तर—पश्चिमी सीमा के साथ—2 उत्तर—पूर्व की ओर, उसके बाद आयत संख्या 138 और 155 की पूर्वी सीमा के साथ—2 दक्षिण की ओर, उसके बाद आयत संख्या 161 की उत्तरी सीमा के साथ—2 पूर्व की ओर, उसके बाद आयत संख्या 161 की पूर्वी सीमा के साथ—2 दक्षिण की ओर बिन्दु ''ग'' तक जो गांव कासन की आयत संख्या 161 का दक्षिण—पूर्वी कोना है।

दक्षिणः उसके बाद गांव कासन की आयत संख्या 161,160 और 159 की दक्षिणी सीमा के साथ—2 पश्चिम की ओर और इसके आगे गांव मोकलवास की आयत संख्या 3,4 और 6 की दक्षिणी सीमा के साथ—2 बिन्दु ''घ'' तक जहां यह गांव खरकारी की दक्षिणी सीमा से मिलती है।

पश्चिमः उसके बाद गांव खरकारी की उत्तर-पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ-2 पश्चिम और उत्तर-पश्चिम की ओर बिन्दु ''क'' तक अर्थात् आरम्भ के बिन्दु तक।

प्रदीप कुमार, आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

202

## HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN.31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA)

# TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT Notification

## The 25th January, 1994

No. PC-94/811- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares the area around Government Primary School at village Kharkari tehsil and district Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

## **SCHEDULE**

Schedule of boundaries of controlled area around Government Primary School at village Kharkari, tehsil and district Gurgaon to be read with the Drawing No. DTP(G) 420/93, dated 25th May, 1993.

**North:** Starting from point 'A' i.e. the point where western boundary of village Baslambi meets with the northwestern boundary of village Kharkari, thence towards north-east along the southern boundary of village Baslambi upto point 'B' where it meets with the western boundary of village kasan.

East: Thence towards south-west along the eastern boundary of Rect. No. 16 & 17 of village Kharkari, thence towards east along the northern boundary of Rect. No. 137 and thence towards north-east along the north-western boundary of Rect. No. 138, thence towards south along the eastern boundary of Rect. No. 138 and 155, thence towards east along the northern boundary of Rect. No. 161, thence towards south along the eastern boundary of Rect. No. 161 upto point 'C' which is the south-east corner of Rect. No. 161 of village Kasan.

**South:** Thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 161, 160 and 159 of village Kasan and further along southern boundary of Rect. No. 3,4 and 6 of Village Mokalwas upto the point 'D' where it meets with the southern boundary of village Kharkari.

**West:** Thence towards west and north-west along the north-western revenue boundary of village Kharkari upto point 'A' i.e. the point of start.

### PRADEEP KUMAR

Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department